भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1872

04 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहन"

1872. डा. एल. हनुमंतय्या:
श्री सैयद नासिर हुसैन:
डा. अमी याज्ञिक:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 से देश में स्कूटर, ऑटो, कारों और ट्रकों सहित विभिन्न प्रकार के कितने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचे गए हैं;

(ख) वर्तमान में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में संरचनागत चुनौतियों जैसे वाहनों की उच्च लागत, चार्जिंग और अनुरक्षण अवसंरचना की कमी और बैटरी के प्रदर्शन के संबंध में उपभोक्ताओं की धारणा का समाधान करने के लिए सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) को सुदृढ़ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जून, 2023 तक या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू फेम-।। (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण) योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राजसहायता में कमी किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, वर्ष 2018 से देश में बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में संरचनात्मक चुनौतियों, जैसे- वाहनों की उच्च लागत, चार्जिंग और अनुरक्षण अवसंरचना का अभाव तथा बैटरी निष्पादन के संबंध में उपभोक्ताओं की धारणाओं का समाधान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन/सब्सिडी देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया)**: सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को अधिसूचित किया है। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम**: सरकार ने वाहनों के घरेलू विनिर्माण को सहायता प्रदान करने के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र संबंधी पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर 2021 को मंजूरी दी। इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम**: सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे के लिए देश में एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ङ): जी, हां। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बढ़ती पैठ को ध्यान में रखते हुए फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत ई-दुपहिया वाहनों के लिए प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को 40% से घटाकर एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 15% कर दिया है। इसे 16.05.2023 को ई-दुपहिया के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों और फेम इंडिया स्कीम, चरण-II की परियोजना कार्यान्वयन और संस्वीकृति समिति (पीआईएससी) के अनुमोदन के बाद लागू किया गया है।

*****

अनुलग्नक

2018 से 01.08.2023 तक देश में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणी-वार विवरण

क्र. सं.	वाहन श्रेणी	2018			2019			2020			2021			2022			2023 (01-08-2023 तक)		
		कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%
1	दुपहिया	1,95,76,235	17,067	0.09	1,86,44,700	30,389	0.16	1,43,05,129	29,113	0.20	1,39,26,217	1,56,243	1.12	1,55,92,118	6,31,181	4.05	92,76,337	4,89,637	5.28
2	तिपहिया	7,64,806	1,10,133	14.40	7,65,867	1,33,489	17.43	4,00,893	90,385	22.55	3,90,820	1,58,129	40.46	6,77,034	3,50,247	51.73	5,72,654	3,00,114	52.41
3	चौपहिया	29,99,288	1,047	0.03	28,22,782	962	0.03	23,96,428	3,207	0.13	29,45,340	12,259	0.42	33,46,973	33,205	0.99	20,20,459	40,186	1.99
4	माल वाहक वाहन	8,86,047	658	0.07	7,99,661	54	0.01	5,03,358	15	0.00	6,02,805	1,118	0.19	8,04,409	653	0.08	4,90,920	1,512	0.31
5	सार्वजनिक सेवा वाहन	79,317	50	0.06	81,022	508	0.63	40,328	88	0.22	15,434	1,177	7.63	45,448	1,972	4.34	47,058	985	2.09

टिप्पण: **1 -** दिए गए विवरण केंद्रीकृत वाहन4 के अनुसार डिजिटीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।.

2 - तेलंगाना और लक्षद्वीप के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केन्द्रीकृत वाहन4 में नहीं हैं।

3 - उपर्युक्त सूची वाहन में वर्ष-वार पंजीकृत वाहनों को दर्शाती है।

***